न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– ओमपकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 199/2022

वादीगण–

1. गणपतराम पुत्र सदाराम
2. श्रवण पुत्र सदाराम

जाति– जाट, निवासी–अडसिंगा ,तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अर्जुन राम पुत्र बीरमाराम
2. आचुडी पुत्री सदाराम
3. गीता पुत्री बीरमाराम
4. हुक्माराम पुत्र प्रहलादराम
5. बाउडी पत्नि प्रहलादराम
6. केशर पुत्री प्रहलादराम
7. संतु पुत्री प्रहलादराम
8. राजूडी पुत्री सदाराम
9. राजेन्द्र पुत्र सदाराम
10. सुरेश पुत्र रामचन्द्र
11. रेशमी पत्नि रामचन्द्र
12. रामेश्वरी पुत्री बीरमाराम
13. लिछमा पुत्री बीरमाराम
14. पुसाराम पुत्र शेराराम
15. बिडदाराम पुत्र शेराराम
16. चेनाराम पुत्र शेराराम
17. रूकमा पुत्री शेराराम
18. नाथी पुत्री शेराराम
19. सुखाराम पुत्र निम्बाराम
20. सरजु पुत्री सदाराम
21. झणकारी पुत्री निम्बाराम
22. गुमानी देवी पुत्री निम्बाराम
23. तुलछादेवी पुत्री निम्बाराम
24. मंगी पुत्री निम्बाराम
25. प्रेमाराम पुत्र सदाराम

    जाति– जाट , निवासी– अड़सिंगा, तहसील– जायल, जिला– नागौर।
26. तहसीलदार जायल।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती

अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादी।
2. श्री शिवप्रकाश सींवर अधिवक्ता श्रीप्रतिवादी संख्या 1 ता 25।
3. राजपैरोकार उपस्थित।

– निर्णय –

दिनांक : 23/01/2023

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 25 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 25 की पुश्तैनी भूमि मौजा अड़सिंगा में ख.न. 182/490 रकबा 0.1619 हेक्टेयर व ख.न. 280 रकबा 1. 2141 हेक्टेयर रहती आई है। जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 25 की खातेदारी मे दर्ज जरूर है पर कब्जा काश्त वक्त बंटवाडा एक मात्र वादीगण का ही रहता चला आया है। परन्तु सहखातेदारी मे दर्ज होने से प्रतिवादीगण के नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व. किस्तुरराम की संतान है। उनके तीन पुत्र शेराराम, निम्बाराम, बीरमाराम हुये थें जिनकी बडेर की भूमि का बंटवाडा वादीगण नाबालिग के नाबालिग अवस्था मे कर लिया था। परंतु उस वक्त मौजा अडसिंगा खेत खाता सं. 277 में की खातेदारी मे नाम नही निकलवाये गये थे। खाता सं. 277 के खेत वादीगण के पिता के बंट मे रखे गये थे। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 25 जो वादीगण का भाई है के शामलाती कब्जा काश्त व बंट में रखा गया था। वादी के दादा निम्बाराम के दो पुत्र सदाराम व सुखाराम हुवे जिनमे वादी के पिता सदाराम का स्वर्गवास वादीगण की नाबालिग अवस्था के समय हो गया था।

मौजा अड़सिंगा के खेत ख.न. 182/490 व 280 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बडेर के द्वारा किये गये बंटवाडा के समय से ही पहले वादीगण के पिता सदाराम के बंट में रखा गया था जिस पर पहले वादीगण के पिता सदाराम का कब्जा काश्त था तथा अब वादीगण एवं वादीगण के भाई प्रतिवादी सं. 25 का कब्जा काश्त रहता चला आया है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के साथ परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी खातेदारी मे दर्ज जिनका उक्त भूमि में किसी प्रकार का बंट नही है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर मौजा अडसिंगा के खेत ख.न. 182/490 व 280 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 25 के नाम घोषित किया जावे। ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 25 की ओर से वकील श्री शिवप्रकाश सींवर वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं. 26 का सम्मन बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है जो परफोर्मा पक्षकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण स. 1 ता 25 ने न्यायालय के समक्ष हाजिर आकर जरिये वकील इकबालिया जवाब पेश करने तथा प्रतिवादी सं. 26 परफोर्मा पक्षकार होने से से विवाधक बिन्दू कायम करने की आवश्यकता नही होने से मिसल वास्ते साक्ष्य हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश किया व दस्तावेजी साक्ष्य में मोजा अडसिंगा के खाता सं. 277 की नकल खतौनी सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1 प्रस्तुत की तथा वादी गणपत राम व प्रहलाराम का शपथ पत्र पेश किया। वादी की ओर से आईन्दा साक्ष्य नहीं कराना चाहने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता वादी की बहस अन्तिम सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरूक्ति करते हुये कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवाडा हो गया है तथा माफिक बटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करसण करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की बडेर की भूमि है तथा बडेर की भूमि होने से सभी पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी जोत की घोषणा व जोत का विभाजन कराने के अधिकारी होने से

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावें तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी की जावे।

वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत शपथ पत्र गवाहों, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड वादपत्र गवाहो के शपथ पत्र व जमाबन्दी नकल खाता सं. 277 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, नकल खतौनी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। मौजा अडसिंगा के खेत ख.न. 182/490 व 220 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 25 की सहखातेदारी मे दर्ज है जो प्रथम दृष्टया विरासत के नामांतकरण के जरिये दर्ज होना प्रतित होती है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के बडेर की भूमि रही है जिसमें वादी एव प्रतिवादीगण का हक अधिकार निहित होने से वाद की ताहिद होती है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 24 ने पूर्व मे पक्षकारान के मध्य भूमि का बंटवाडा को स्वीकार कर इन खसरा नम्बरों में अपना हक हिस्सा नहीं होने का कथन किया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 24 का हक हिस्सा नहीं रखना जो कि हमारी राय मे अमला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण की श्रेणी मे आता है। वादी द्वारा आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि उपपंजीयक जायल के पास जमा होने पर तथा पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति होने अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

यत् वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न डिक्री किया जाता है कि– मौजा अडसिंगा के खेत ख.न. 182/490 रकबा 0.1619 हेक्टेयर व ख.न. 220 रकबा 1.2141 हेक्टेयर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 25 के हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 ता 24 के बंट मे कृषि भूमि नहीं रखने तथा अपनी ईच्छा से हक त्याग करने से इनका नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण पुश्तैनी बडेर की भूमि का हक त्याग द्वारा अन्तरण का होने से आवश्यक स्टाम्प शुल्क वादी द्वारा कार्यालय उपपंजीयक जायल में जमा कराने पर अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी होकर तहसीलदार जायल को आदेश की तकमील मे तहरीर जारी हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 23/01/2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी श्री– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 199/2022

वादीगण–

1. गणपतराम पुत्र सदाराम
2. श्रवण पुत्र सदाराम
   जाति– जाट, निवासी–अडसिंगा ,तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अर्जुन राम पुत्र बीरमाराम
2. आचुडी पुत्री सदाराम
3. गीता पुत्री बीरमाराम
4. हुक्माराम पुत्र प्रहलादराम
5. बाउडी पत्नि प्रहलादराम
6. केशर पुत्री प्रहलादराम
7. संतु पुत्री प्रहलादराम
8. राजूडी पुत्री सदाराम
9. राजेन्द्र पुत्र सदाराम
10. सुरेश पुत्र रामचन्द्र
11. रेशमी पत्नि रामचन्द्र
12. रामेश्वरी पुत्री बीरमाराम
13. लिछमा पुत्री बीरमाराम
14. पुसाराम पुत्र शेराराम
15. बिडदाराम पुत्र शेराराम
16. चेनाराम पुत्र शेराराम
17. रूकमा पुत्री शेराराम
18. नाथी पुत्री शेराराम
19. सुखाराम पुत्र निम्बाराम
20. सरजु पुत्री सदाराम
21. झणकारी पुत्री निम्बाराम
22. गुमानी देवी पुत्री निम्बाराम
23. तुलछादेवी पुत्री निम्बाराम
24. मंगी पुत्री निम्बाराम
25. प्रेमाराम पुत्र सदाराम
    जाति– जाट , निवासी– अड़सिंगा, तहसील– जायल, जिला– नागौर।
26. तहसीलदार जायल।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा अधिवक्ता वादी।
2. श्री शिवप्रकाश सींवर अधिवक्ता श्रीप्रतिवादी संख्या 1 ता 25।
3. राजपैरोकार उपस्थित।

– : : डिक्री आदेश : : –

दिनांक 23/01/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीराम मालोदिया अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या संख्या 5 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –मौजा अडसिंगा के खेत ख.न. __/490 रकबा 0.1619 हेक्टेयर व ख.न. 220 रकबा 1.2141 हेक्टेयर वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 25 के हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी को घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 ता 24 के बंट मे कृषि भूमि नहीं रखने तथा अपनी ईच्छा से हक त्याग करने से इनका नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण पुश्तैनी बडेर की भूमि का हक त्याग द्वारा अन्तरण का होने से आवश्यक स्टाम्प शुल्क वादी द्वारा कार्यालय उपपंजीयक जायल में जमा कराने पर अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तहसीलदार जायल को आदेश की तकमील मे तहरीर जारी हो।

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/1/2023 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल